

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

जय सिंह,  
सचिव ।

सेवा में,

ई-मेल

सभी समाहर्ता,  
बिहार ।

पटना-15, दिनांक- 11 / 06 / 2026

विषय :- अभियान बसेरा-2 के तहत सर्वेक्षित परिवारों को विशेष अभियान चलाकर बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि वर्तमान में विभागीय पत्रांक-624(17), दिनांक-04.05.2023 द्वारा अभियान बसेरा-2 कार्यक्रम संचालित कर राज्यान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य श्रेणी के गृहविहीन परिवारों को सर्वेक्षित कर वासभूमि हेतु वासगीत पर्चा/बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित की जा रही है ।

दिनांक-13.05.2026 माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक के उपरांत निदेश प्राप्त हुआ है कि जून माह में विशेष अभियान चलाकर वासभूमिहीन परिवारों एवं सरकारी जमीन पर पूर्व से बसे हुए वासभूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय ।

उक्त के संबंध में संसूचित करना है कि अभियान बसेरा-2 के तहत सर्वेक्षित वैसे परिवार जिन्हें अबतक बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका उन्हें विशेष अभियान चलाकर वासभूमि उपलब्ध करायी जाय ।

उक्त अभियान निम्नांकित रूप से क्रियान्वित किया जाय :-

(1). अभियान बसेरा-2 के तहत वासभूमि हेतु शेष बचे सर्वेक्षित परिवारों को जून माह के दिनांक-15.06.2026 से 21.06.2026 तक विशेष अभियान चलाकर बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय ।

(2). अभियान बसेरा के तहत असर्वेक्षित वैसे परिवार जो पूर्व से ही सरकारी भूमि यथा-गैरमजरूआ खास/आम भूमि पर बसे हुए हैं, उनकी जांच करते हुए अभियान बसेरा-2 के अन्तर्गत ऐसे परिवारों का सर्वेक्षण विशेष अभियान चलाकर माह जून में बंदोबस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य पूर्ण किया जाय ।

(3). वासभूमि हेतु सर्वेक्षित वैसे परिवार जो पूर्व से ही सरकारी भूमि पर ही बसे हुए हैं, उन्हें अधिकतम-05 डीसमिल ही भूमि बंदोबस्त किया जाय ।

(4). उक्त सरकारी भूमि की अनुपलब्धता में मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना के तहत न्यूनतम-03 डीसमिल रैयती भूमि क्रय हेतु रु0 1,00,000/- की सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाय।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में अभियान बसेरा-2 के तहत वासभूमि उपलब्ध कराने का कार्य विशेष अभियान के तहत निष्पादित किया जाय।

इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(जय सिंह)  
सचिव

9/6/26

(861)

**माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक-13.05.2026 को राजस्व संबंधी विभागीय कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-**

बैठक के प्रारंभ में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा माननीय विभागीय मंत्री का स्वागत किया गया। तत्पश्चात माननीय विभागीय मंत्री द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा की गयी एवं निम्नांकित निदेश दिये गए।

1. जिन जिलों में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी का पद रिक्त है तथा जिन जिलों में सैटेलाईट टाउन का चयन किया गया है, उन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पदस्थापन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 01/03

2. विभाग में रिक्त पदों यथा:- विशेष सचिव एवं संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया जाए।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 01

3. अभियान वसेरा के तहत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। जून माह में एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाकर ऐसे परिवारों को पर्चा निर्गत किया जाए। ऐसे परिवार जो वास भूमिहीन है तथा जो सरकारी जमीन पर Already बसे हुए हैं, उनके लिए Parameter/SOP तैयार किया जाए कि उन्हें इसका लाभ किस तरह से दिया जा सके।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 17

4. किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन भू-अभिलेख जारी नहीं किया जाए। ऑफलाईन माध्यम से राजस्व अभिलेखों का नकल निर्गत करने पर दोषी पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई/जुर्माना हेतु सभी समाहर्ता को निदेशित किया जाए।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 09/09A एवं आई0टी0 मैनेजर

5. विभाग में जितने भी अधिनियम/नियमावली व्यवहार में है, उसकी पाँच विकसित राज्यों के समरूप अधिनियम/नियमावलियों से तुलनात्मक अध्ययन के निमित्त विभाग स्तर पर टीम गठित कर आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव प्राप्त किया जाए।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 8

6. खासमहाल की जमीन का जिलावार प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए। खासमहाल सहित सभी सरकारी जमीन के मामले में निबंधन हेतु अंचल अधिकारी को सकारात्मक प्रतिवेदन देने का कोई अधिकार नहीं होगा, इसे सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सरकारी जमीन के निबंधन को रोकने हेतु उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के SOP की समीक्षा कर निबंधन विभाग को पत्र लिखा जाए। सरकारी जमीन का निबंधन नहीं हो सके, इसके लिए आवश्यक उपाय किए जाए।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 6

360

7. सरकारी जमीन की पहचान के लिए Artificial Intelligence का उपयोग किया जाए। Artificial Intelligence का उपयोग कर सरकारी जमीन का Mutation करते समय ही Red Flag हो जाए, इसका प्रावधान/व्यवस्था की जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 09A एवं आई0टी0 मैनेजर

8. राजस्व कार्यालयों में कार्य प्रणाली को सरल एवं प्रभावी बनाने के लिए राजस्व लिपिक संवर्ग का गठन किया जाए। वैसे कर्मियों जिन्हें तीन-चार वर्षों का अनुभव हो, उन्हें 10 प्रतिशत प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया जाए, साथ ही अनिवार्य रूप से जिला स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 04

9. अंचल कार्यालयों के सुदृढीकरण हेतु अंचल कार्यालयों में संसाधनों/उपस्करों की आवश्यकता उपलब्धता एवं कमी का प्रतिवेदन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 05

10. राजस्व हल्का कार्यालय (पंचायत सरकार भवन) के सुदृढीकरण हेतु संसाधन/उपस्कर के अधिष्ठापन एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पदस्थापन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 04

11. अमीन/राजस्व कर्मचारी के Pay Scale में पुनरीक्षण हेतु वित्तीय देनदारी का आकलन किया जाए। साथ ही 5 वर्ष पर तीन ऐच्छिक औषान के आधार पर अपने इच्छित प्रमंडल के जिलों में स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 04

12. बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों का बिहार प्रशासनिक सेवा में कुछ प्रतिशत प्रोन्नति के प्रावधान हेतु संचिका उपस्थापित की जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 03

13. राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई अध्याचना का प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु Follow up किया जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 04

14. अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई अध्याचना का प्राथमिकता के आधार पर विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्रवाई हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग से पत्राचार करते हुए Follow up किया जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 04

15. पूरा विभाग अब सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित हो गया है, इसलिए आई0टी0 सेल को और मजबूत बनाने हेतु कार्रवाई की जाए, साथ ही सभी अंचलों के पर्यवेक्षण/अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर Control and Command Center की व्यवस्था की जाए। विभाग स्तर (मुख्यालय) पर राजस्व भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करते हुए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 01/02/06

16. राजस्व विभाग में स्वच्छ वातावरण एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अलग से विशेष निगरानी इकाई एवं आर्थिक अपराध इकाई सेल गठन हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 01

17. बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण काफी संख्या में राजस्व संबंधी मामलों के लंबित रहने के फलस्वरूप सर्वर पर लोड बढ़ने एवं सर्वर के slow होने से हो रही परेशानी के मद्देनजर सर्वर की क्षमता बढ़ाने हेतु Beltron से पत्राचार किया जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 09A एवं आई0टी0 मैनेजर

18. प्रत्येक भूमि अंतरण के पश्चात् रैयतों का अलग-अलग खेसरा (Different ID) प्रदर्शित होने की व्यवस्था की जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 09 एवं आई0टी0 मैनेजर

19. दरभंगा राज की जमीन से संबंधित 17 मई, 2026 तक जितने भी दावे/आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उसकी समीक्षा कर महाधिवक्ता, बिहार से विधिक परामर्श प्राप्त किया जाए, साथ ही इस तरह की पूरे बिहार में जितनी भी परिसम्पत्तियां हैं, उसपर माननीय पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता हो, इसके संदर्भ में महाधिवक्ता, बिहार से विधिक मंतव्य हेतु संचिका उपस्थापित किया जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 06

20. जमाबंदी से आधार/मोबाईल को जोड़ने हेतु Verify करते हुए आधार सीडिंग को 10 प्रतिशत बढ़ाने की कार्रवाई की जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 09 एवं आई0टी0 मैनेजर

21. Petrol/Diesel की वैश्विक संकट/समस्या के मद्देनजर Petrol/Diesel को संरक्षित करने एवं खपत कम करने हेतु विभाग अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निदेशित किया जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 02

22. अगले सप्ताह में प्रमंडलवार अंचल अधिकारियों का 05 ग्रुप बनाकर वर्चुअल बैठक आयोजित की जाए। साथ ही सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं एवं अपर समाहर्ताओं का एक साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की जाए। इसी तरह विशेष सर्वेक्षण एवं भू-अर्जन के पदाधिकारियों की अलग से वर्चुअल बैठक आयोजित की जाए।

अनुपालन— वरीय प्रभारी प्रशाखा— 10

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह)  
सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक-10/सम0/(बैठक कार्यवाही)-11/2026-.....6/2.....(10)/रा0, दिनांक-22/05/2026

प्रतिलिपि :-सभी निदेशक/सभी अपर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
22.5.26  
(देवेश कुमार)  
उप सचिव।

ज्ञापांक-10/सम0/(बैठक कार्यवाही)-11/2026-.....6/2.....(10)/रा0, दिनांक-22/05/2026

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
22.5.26  
(देवेश कुमार)  
उप सचिव।